पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 08.09.2023

दिनांक 07/08-09-2023 को रात्रि थाना आशियाना 01, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना अलीगंज-दिनांक 08.09.2023 को थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि श्री रणधीर कुमार पुत्र श्री के0पी0 सिंह निवासी- त्रिवेणीनगर 538/क- 726 शिवपुरम् थाना अलीगंज लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 07.09.2023 को समय करीब 18.30 बजे उनका भांजा आस्तित्व सूर्यवंशी पुत्र श्री सतीश सिंह घर आया तो उन्हें फोन कर सूचना दिया कि कोई घर का दरवाजा नही खोल रहा है, तत्पश्चात वह तुरन्त आफिस से घर आये तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने व खटखटाने पर भी दरवाजा नही खुला तो पडोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ कर अंदर देखा गया तो पता चला कि उसकी पत्नी रश्मि सिंह उम्र करीब 51 वर्ष ने कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री सुशील कुमार मो0नं0- 9506446973 थाना अलीगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतका की एक पुत्री है एवं मृतका के पति प्राइवेट जॉब करते है।

थाना ठाकुरगंज- दिनांक 08.09.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि ऐरा हॉस्पिटल सरफराजगंज ठाकुरगंज लखनऊ से थाना स्थानीय पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 07.09.2023 को आर्यन उम्र करीब 19 वर्ष निवासी- कुतलपुर शिवधरा जनपद हरदोई को गम्भीर रूप से घायलावस्था में इस चिकित्सालय में लाया गया। जिसकी दिनांक 07.09.2023 समय करीब 12.34 बजे दोपहर इलाज के दौरान आर्यन उपरोक्त की मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विनीत कुमार मो0नं0- 8630100090 थाना ठाकुरगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक आर्यन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र अनुज कुमार उपरोक्त दिनांक 07.09.2023 को समय करीब 11.30 बजे ऐरा मेडिकल कालेज की छठी मंजिल से गिर कर गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज हेतु में ऐरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहाँ इलाज के दौरान आर्यन उपरोक्त की मृत्यु हो गई। आर्यन उपरोक्त ऐरा मेडिकल कालेज में बीपीईटी द्वितीय वर्ष का छात्र था।

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी-दिनांक 08.09.2023 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनुराग शुक्ला पुत्र श्री रामवतार शुक्ला निवासी P-1602 सेलीब्रिटी ग्रीन्स थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि वादी के एक्सेस बैंक अंसल के बचत खाते से दिनांक 27.08.2023 से 06.09.2023 के बीच 10 ट्रांजैक्शन से कुल 98,000/- रूपये धोखाधड़ी कर के एईपीएस ट्रांजैक्सन से निकाल लिए हैं। वादी के रजिस्टर्ड मो0न0 पर इन 10 फर्जी एईपीएस ट्रांजैक्शन का कोई एसएमएस नही आया जबकि अन्य सभी मैसेज आए है। वादी द्वारा बैंक से किसी प्रकार का एईपीएस का कोई ट्रांजैक्शन नही किया गया है। **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0- 472/2023 धारा- 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सरोजनीनगर</u>- दिनांक 08.09.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया द्वारा बताया गया कि बीमा अस्पताल सरोजनीनगर लखनऊ से थाना स्थानीय पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 08.09.2023 समय करीब 10.52 बजे को एक व्यक्ति सुरेश कुमार उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र बेचेलाल निवासी- तपोवननगर अमौसी एअरपोर्ट के पास पोस्ट ऑफिस मानसनगर थाना सरोजनीनगर लखनऊ को मृत अवस्था में इस चिकित्सालय में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अभय बाजपेई मो0नं0- 8953854177 थाना सरोजनीनगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक सुरेश कुमार उपरोक्त शशि केबल लिमिटेड नादरगंज सरोजनीनगर लखनऊ में काम करता था। दिनांक 08.09.2023 को कंपनी में काम करते समय केबल के बंडल को लुढकाकर ले जाते समय बंडल में हाथ फंस जाने के कारण सुरेश कुमार उपरोक्त गिर गया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई, जिन्हें इलाज हेतु में बीमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ चिकित्सकों द्वारा सुरेश कुमार उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के 03 बच्चे है।

<u>थाना अलीगंज</u>-दिनांक 08.09.2023 को थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री जटाशंकर मौर्य पुत्र राजमन निवासी श्याम विहार कालोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 29.08.2023 को अपनी पत्नी राजमती के साथ नेहरू बाल वाटिका के पास दवा लेने गए थे। वापसी में वादी द्वारा अपनी पत्नी को लोक सेवा आयोग के मोड़ पर छोड़कर अपनी डयूटी पर चला गया। वादी की पत्नी जब लोक सेवा आयोग के पीछे पहुँची कि तभी काली मो0सा0 से दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी को जादू-टोना का भय दिखाकर वादी की पत्नी के पहने हुए कीमती जेवरात को एक रूमाल में रखकर लिया और वहाँ से भाग गए। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0- 266/2023 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**